वित्तीय स्वीकृति

संख्या-05/2026/087/18-2-2026-18-2002(001)/1/2024

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक/मिशन निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0/,
सी0एम0 युवा मिशन कार्यालय,
कानपुर/लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 23 जनवरी, 2026

विषयः- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सी0एम0 युवा मिशन कार्यालय के पत्र संख्या-1440/मु0यु0 उ0वि0अ0/2025-26, दिनांक 20-01-2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-3 लेखाशीर्ष 2851-102-19- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित रू0 100000.00 लाख (रूपये एक हजार करोड़ मात्र) के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 50000.00 लाख ( रूपये पांच सौ करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये आपके निवर्तन पर रखने एवं व्यय करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय केवल स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

4- लाभार्थी/इकाईयों को धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि का भुगतान चेक अथवा नगद नहीं किया जायेगा। लाभार्थी की पात्रता व आंकड़ो की शुद्धता का परीक्षण आयुक्त एवं निदेशक उद्योग/मिशन निदेशक द्वारा किया जायेगा ।

5- स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- धनराशि के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित देयताओं के सम्बन्ध में संगत नीति/शासनादेशों के अनुसार देय हों।

7- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग/मिशन निदेशक द्वारा यह सुनिश्चिव किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्य योजना में सम्मिलित है। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग/मिशन निदेशक उत्तरदायी होंगे।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों एवं इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा व स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-49/2024/1650/477/18-2-2024,दिनांक 28-10-2024 द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों व अन्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

10- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-19-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से
शिशिर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग/उपायुक्त उद्योग, उ0प्र0।
3- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 6/ नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
शिशिर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।